GCMS Portal No.- 2026/222

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

अपीलान्ट		**रेस्पोडेन्ट**
श्रुति चौधरी पुत्री स्व0 सुरेन्द्र चौधरी पौत्री स्व0 किशनाराम जाति–जाट चौधरी निवासी ग्राम बोड़वा हाल निवासी 9ए मालवीय नगर जोधपुर वर्तमान निवासी–2206 Hassinger Ln. Glenshaw. PA15116 USA जरिये पॉवरएर्टोनी होल्डर पृथ्वीराज चौधरी पुत्र स्व0 आशाराम चौधरी जाति–जाट निवासी–चारभुजा रोड़,मकराना	**बनाम**	नवीन चौधरी उर्फ महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री भूराराम जाति–जाट गोदारा हाल निवासी "भुरामेश्वर विला" जाट कॉलोनी–नागौर व अन्य

किस्म मुकदमा स्थगन प्रार्थना पत्र **संख्या** 16 **सन्** **2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09.04.2026	वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई अपील विरूद्व तहसीलदार जायल द्वारा ग्राम बोड़वा के नामान्तरकरण संख्या 651 पर स्वीकृति आदेश दिनांक 04.09.1998 के साथ पेश किया है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थीया स्व0 पन्नाराम जी की वंशज हैं। स्व0 पन्नांराम जी के तीन पुत्र हुए स्व0 किशनाराम जी, स्व0 प्रहलादराम जी एवं स्व0 भूराराम जी। प्रार्थीया स्व0 किशनाराम जी पौत्री है इसलिए स्व0 किशनाराम जी की भूमि में प्रार्थीया को जन्म से अधिकार प्राप्त है। विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन है कि ग्राम बोड़वा के खसरा नम्बर 253 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 270 रकबा 32 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 667 रकबा 18 बीघा कुल रकबा 99 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर स्व0 पन्नाराम जी अपने पूर्वज के समय से कास्त व कब्जा होने से खातेदारी अधिकारी खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2020–2034 से प्राप्त हुवे। उस समय पन्नाराम जी, किशनाराम जी एवं भूराराम जी पिता–पुत्रों का संयुक्त हिन्दु परिवार था तथा कर्ता खानदान पन्नाराम जी थे, जो जीवन पर्यन्त कर्ता खानदान रहे। यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सम्वत् 2020 में किशनाराम जी, प्रहलादराम जी व भूराराम जी तीनों वयस्क थे तथा पन्नाराम जी की उस समय वृद्वावस्था थी किन्तु संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता तथा वरिष्ठ तथा शाखा प्रमुख तथा प्रारम्भ से उक्त खसरान पर काश्त कब्जा होने से खातेदार के रूप में पन्नाराम जी के नाम दर्ज हुआ जबकि प्रहलादराम एवं भूराराम दोनों राजकीय सेवा में सेवारत थे इसलिए केवल किशनाराम जी, पन्नाराम के साथ उपरोक्त खेतो पर कास्त करते थे। खातेदार पन्नाराम जी का स्वर्गवास कलक्टर नागौर	

होने पर राजस्व कर्मचारियों ने स्व0 पन्नाराम जी के तीनों पुत्रों किशनाराम जी, प्रहलादराम जी व भूराराम जी को खातेदार दर्ज नहीं करके किशनाराम जी एवं भूराराम जी दो का ही नाम दर्ज कर दिया। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के परदादा पन्नाराम जी से विरासत में उसके दादा किसनाराम जी को प्राप्त हुई, के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई कि उसके परदादा पन्नाराम जी की उक्त कृषि भूमि जो किशनाराम जी को उतराधिकार से प्राप्त पैतृक सम्पति से वंचित करने की योजना में विधि विरूद्ध, मिलावटी, बनावटी, फर्जी व अवैध रूप से तैयार वसीयतनामा एवं नामान्तकरण संख्या 651 के माध्यम से किशनाराम जी के खातेदारी हक का नामान्तकरण प्रहलादराम जी से तथा भूराराम जी द्वारा आपसी दुर्भिसंधी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में राजस्व कार्मिकों से मिलावट करके दर्ज करवा लिया तथा इस नामान्तरकरण के आधार पर प्रार्थी के हक की जमीन भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हो जाने से इस भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना किसी अधिकार के अन्य को बेचान/हस्तान्तरण कर दिये जाने से प्रार्थीया को अर्पूणीय क्षति होगी तथा प्रार्थीया (अपीलांट) अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगी। विद्वान वकील प्रार्थी ने फहरिस्त मय माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जायल के दिवानी विविध प्रकरण संख्या 05/2026 में जारी आदेश दिनांक 18.03.2026 की अदेशिका की प्रति पेश कर यह निवेदन किया कि माननीय सिविल न्यायालय में भी प्रार्थीया का किशनाराम जी की सम्पत्ति में हक मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है।

अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखी जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या एक में स्व0 पन्नाराम के दर्शाये गये सजरा खानदान में स्व0 सुरेन्द्र को, स्व0 किशनाराम को गोद पुत्र दर्शाया गया है जबकि पत्रावली पर सुरेन्द्र, किशनाराम का गोद पुत्र होने का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत वसीयत दिनांक 04.09.81 जो किसनाराम द्वारा निष्पादित की जाकर उप पंजीयक से दिनांक 19.09.81 को पंजीकृत है उसमें किसनाराम ने यह लिखा है कि मेरे कोई जाईन्दा लड़का नहीं है न मैने आज तक किसी को गोद ही लिया। इस प्रकार सुरेन्द्र, किशनाराम का गोद पुत्र होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने से प्रथम दृष्टिया प्रार्थीया के पक्ष में यह प्रकरण होना नहीं पाया जाता है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होने से इस प्रकरण में वर्तमान स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)